राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या— 2/2023
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2023/12
3. दायर दिनांक—24.1..2023
4. निर्णय दिनांक— 22.11.2024

उनवानी—

1. गजानंद पुत्र रामलाल
2. गोपाल लाल पुत्र रामलाल
3. मदन लाल पुत्र रामलाल
4. हेमराज पुत्र रामलाल
   सर्वजाति कुम्हार सर्वनिवासी ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

....प्रार्थीगण

बनाम

1. गट्टू देवी पुत्री रामलाल
2. गीता देवी पत्नि रामलाल
3. भंवर लाल पुत्र रामलाल
4. लाली देवी पुत्री रामलाल
5. सोनू पुत्री रामलाल
6. जयराम पुत्र लक्ष्मण
   सर्वजाति कुम्हार सर्वनिवासी ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
7. शान्ति लाल पुत्र चौथूराम जाति कुमावत
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर
9. उप पंजीयक रूपनगढ़ जिला अजमेर

....अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—:1. श्री शांतिलाल ढ़ेल अधि0 प्रार्थीगण
2 श्री अरविन्द दाधीच अधि0 अप्रार्थी संख्या 1,2,5,7
3 श्री विमल किशोर तिवाडी अधि0 अप्रार्थी संख्या 6

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़ के ख0न0 1255 रकबा 1.2701 है0 भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 1255 की भूमि में राजस्व रिकार्ड अनुसार इनका हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 1255 की भूमि का विधि अनुसार विभाजन किया हुआ नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 को संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त भूमि के विशिष्ट भू भाग को बिना विभाजन किये विक्रय [illegible] कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 7 को संयुक्त कब्जे काश्त [illegible] की वादग्रस्त ख0न0 1255 की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन [illegible] है एवं वादग्रस्त भूमि का अलग खाता संख्या, खसरा संख्या एवं लगान कायम किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 एक राय होकर संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त भूमि के विशिष्ट भू भाग को विक्रय करने को प्रयत्नशील है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की उक्त अवैध व अनाधिकृत कार्यवाही को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 8 भूमिधारक होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:28:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अप्रार्थी संख्या 9 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक है कि यदि अप्रार्थी संख्या 1 से 7 वादग्रस्त ख0न0 1255 की भूमि के किसी विशिष्ट भाग को विकय पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो उसका पंजीयन नहीं करे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 7 को आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु आग्रह किया तब अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ने इन्कार कर दिया इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी 1, 2 ,4, 5 व 7 को प्रर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थी विना किसी विधिक बंटवारे के वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग को बैचने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। वकील अप्रार्थी संख्या 6 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खंडन करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन, अवलोकन किया गया व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। तदनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट होते है। वादग्रस्त भूमि के बैचान/अन्तरण होने से वाद बाहुल्यता की संभावना को देखते हुए अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट होता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित भूमि ग्राम रूपनगढ़ के ख0न0 1255 रकबा 1.2701 है0 के बैचान, रहन, अन्तरण आदि नही करने राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

महिमा कसाना
(आई.आर.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:28:24 IST
Reason: SelfAttested